(ग) शहरी मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें, शहरी मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना की राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत मुहैया कराई जाती हैं। निधियों की व्यवस्था राज्य योजनाओं में की जाती है और राज्य सरकारें अपनी अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उचित परियोजनायें बनाती तथा कार्यान्वित करती हैं। इस प्रयोजन के लिए कोई सीधी केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों और जे० जे० कालोनियों से उथले हैंड पम्पों का उखाड़ा जाना

531. श्री कपिल वर्मा :
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों और जे० जे० कालोनियों से उथले हैंड पम्पों को उखाड़ने का निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो इन कालोनियों और बस्तियों के नाम क्या-क्या हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) हैंड पम्पों को उखाड़ने की जिम्मेदारी किस प्राधिकरण को सौंपी जायेगी ;

(ग) उथले हैंड पम्पों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन उथले हैंड पम्पों का पानी दूषित पाया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार 44 पुनर्वास कालोनियों में उथले हैंड पम्पों को हटाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य जून, 1989 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग ने यमुना-पार क्षेत्रों के झुग्गी समूहों में जो 271 हैंड पम्प लगवाए थे, उन्हें पहले ही वास्तविक रूप से निष्क्रिय कर दिये गये तथा उन्हें सितम्बर 1988 के माह के दौरान हटा दिए गए हैं।

(ख) नगर पालिका अंचलों के उपर उपायुक्तों के माध्यम से दिल्ली नगर निगम।

(ग) पुनर्वास कालोनियों में लगभग 17,000।

(घ) जी, हां।

विवरण

44 पुनर्वास कालोनियों की सूची

1. ख्याला फेज-I
2. पीरागढ़ी
3. पाण्डव नगर
4. शकूरपुर फेज-I
5. शकूरपुर फेज-II
6. ख्याला फेज -- III
7. नारायणा
8. मंगोलपुरी
10. शादीपुर
11. खानपुर
12. ज्वालापुरी फेज--I
13. ज्वालापुरी फेज-II
14. नन्द नगरी, ब्लाक-ए से ई
15. नन्द नगरी, ब्लाक-एफ से एल
16. नई सीमापुरी
17. मोची बाग
18. वजीरपुर
19. पुरानी सीमापुरी
20. सीलमपुर फेज-I
21. सीलमपुर फेज-II
22. त्रिलोकपुरी फेज-I तथा II
23. सीलमपुर फेज-II
24. खिचड़ीपुर
25. कल्याणपुरी
26. हिम्मतपुरी
27. सीलमपुर फेज-IV
28. नांगलोई फेज--I

29. नांगलोई फेज़-II
30. नांगलोई फेज़-III
31. मंगोलपुरी
32. सुल्तानपुरी
33. जहांगीरपुरी
34. पंखा रोड तथा हस्तसाल
35. रघुबीर नगर
36. दक्षिणपुरी
37. दक्षिणपुरी विस्तार
38. तिगड़ी
39. मदनगीर फेज़-II
40. मदनगीर फेज़-I
41. [illegible] कालोनी
42. श्रीनिवासपुरी
43. गोविन्दपुरी
44. [illegible]

([illegible])

Promotion of Senior Stenographers in CPFC

532. SHRI J. P. JAVALI:

SHRI SOHAN LAL DHUSIYA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the Office of Central Provident Fund Commissioner, Delhi the Senior Stenographers are also given chance while making promotions to the post of Superintendents/Section Officers as per the existing rules;

(b) if so, the number of Senior Stenographers promoted to the said posts during the last three years;

(c) if no promotion has been made the reasons for violation of existing Recruitment Rules in such cases;

(d) whether it is also a fact that the Central Provident Fund Commissioner inspite of Government's directions has been promoting only Assistants to the posts of Superintendents; and

(e) the action taken/proposed to be taken to rectify the irregularities committed to remove the injustice meted out to Senior Stenographers and punish the officers found responsible for violation of Recruitment Rules?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) and (b) Even though, under the existing recruitment rules of the post of Superintendents in the Employees' Provident Fund Organisation, Senior Stenographers are also required to be considered for promotion, no Senior Stenographer was promoted as Superintendent during the last 3 years.

(c) to (e) An amendment to the recruitment rules excluding Senior Stenographers from promotion to the post of Superintendents was under consideration at one time. On the basis of this draft amendment, ad-hoc promotions had been given to Assistants only. However, the Central Provident Fund Commissioner has been directed to make all promotions according to the existing recruitment rules which include Stenographers (Senior) as one of the feeder cadres.

Since exclusion of Senior Stenographers from promotions which were only on ad-hoc basis was on account of incorrect interpretation of rules/instructions, punishing anybody for the alleged lapse is not called for.

Installation of statues of National Leaders

533. SHRIMATI RATAN KUMARI:

DR. RATNAKER PANDEY:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether all the formalities have been completed for installation of the statues of Mahatma Gandhi, Jawahar Lal Nehru and Indira Gandhi in New Delhi;

(b) if so, the places identified for the purpose; and